2017 का विधेयक संख्यांक 154

[दि सैन्ट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (एक्सटेंशन टू जम्मू एंड कश्मीर) बिल, 2017 का हिन्दी अनुवाद]

केंद्रीय माल और सेवा कर (जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तार) विधेयक, 2017

केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तार का उपबंध करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवा कर (जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तार) अधिनियम, 2017 है ।

5 (2) यह 8 जुलाई, 2017 को प्रवृत हुआ समझा जाएगा ।

केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का विस्तार और संशोधन ।

2. (1) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) और केंद्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन बनाए गए सभी नियमों, अधिसूचनाओं और जारी आदेशों को, जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तारित किया जाता है और वे उसमें प्रवृत्त होंगे । 2017 का 12

(2) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से, मूल अधिनियम में,--

(क) धारा 1 की उपधारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) धारा 22 के स्पष्टीकरण के खंड (iii) में, 'अभिव्यक्ति "विशेष प्रवर्ग राज्यों" संविधान के' शब्दों के स्थान पर, ' "विशेष प्रवर्ग राज्य" पद से जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संविधान के' शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) धारा 109 की उपधारा (6) में,--

(i) "अधिसूचना द्वारा" शब्दों के पश्चात्, "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) पहले परंतुक में, "परंतु" शब्द के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए, इस अधिनियम के अधीन गठित माल और सेवा कर अपील अधिकरण की राज्य न्यायपीठ, जम्मू-कश्मीर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन गठित राज्य अपील अधिकरण होगा :

परंतु यह और कि";

(iii) दूसरे परंतुक में, "परंतु यह और कि" शब्द के स्थान पर, "परंतु यह भी कि" शब्द रखे जाएंगे ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

2. (1) केंद्रीय माल और सेवा कर (जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तार) अध्यादेश, 2017 निरसित किया जाता है । 2017 का अध्यादेश सं0 3

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, केंद्रीय सरकार द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के राज्य के भीतर प्रदाय पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था ।

2. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (2) में यह उपबंधित है कि उक्त अधिनियम का विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है ।

3. जम्मू-कश्मीर राज्य की विधान सभा ने 5 जुलाई, 2017 को संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 को अंगीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया था । परिणामस्वरूप, 6 जुलाई, 2017 को, राष्ट्रपति द्वारा संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के उपबंधों को जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तारित करते हुए, संविधान (जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू होना) संशोधन आदेश, 2017 जारी किया था ।

4. जम्मू-कश्मीर राज्य ने जम्मू-कश्मीर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 पारित कर दिया है, जो 8 जुलाई, 2017 को प्रवृत्त हो गया है और किसी ऐसी असामान्य स्थिति से, जो माल और सेवा कर की यथार्थ भावना के विरुद्ध हो सकती है, बचने के लिए, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन उद्गृहीत केंद्रीय कर को राज्य में राज्य के भीतर प्रदायों पर साथ-साथ अधिरोपित किया जाना चाहिए ।

5. उपरोक्त को देखते हुए, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के उपबंधों का, निम्नलिखित संशोधनों के अधीन रहते हुए, जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तार करना आवश्यक हो गया है, अर्थात् :--

(i) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (2) का संशोधन, जिससे "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जा सके ;

(ii) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 22 के स्पष्टीकरण के खंड (**iii**) का संशोधन, जिससे **"**विशेष प्रवर्ग राज्यों**"** की परिधि से जम्मू-कश्मीर राज्य को अपवर्जित किया जा सके ; और

(iii) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 109 की उपधारा (6) का संशोधन, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन माल और सेवा कर अपील अधिकरण की राज्य न्यायपीठ, जम्मू-कश्मीर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन गठित राज्य अपील अधिकरण होगा ।

6. चूंकि संसद् सत्र में नहीं थी और अति आवश्यक विधान बनाया जाना अपेक्षित था, अतः राष्ट्रपति द्वारा 8 जुलाई, 2017 को, केंद्रीय माल और सेवा कर (जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तार) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश संख्यांक 3)

प्रख्यापित किया गया ।

7. विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
24 जुलाई, 2017.

अरूण जेटली

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित केंद्रीय माल और सेवा कर (जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तार) अधिनियम, 2017 में भारत की संचित निधि से कोई आवर्ती या अनावर्ती व्यय अंतर्वलित नहीं है ।

GMGIPMRND—1472LS(CRC)—26-7-2017.